न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 136/2022 (RCMS : 2022/205)

1. **राकेश कुमार पुत्र बलराम** जाति जाट निवासी 49 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **विकास कुमार पुत्र हंसराज** जाति जाट निवासी 49 एलएनपी तहसील पदपमुर जिला श्रीगंगानगर

--- **प्रार्थीगण**

बनाम

1. **सुभाष कुमार, उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर** जिला श्रीगंगानगर
2. **लाधूराम पुत्र चिमनाराम** जाति जाट निवासी 49एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
3. **भागवन्ती देवी पत्नी लाधूराम** जाति जाट निवासी 49 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

--- **अप्रार्थीगण**

11.01.2023

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री प्रदीप सिहाग एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उसने उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण अनवानी मुकदमा लाधूराम आदि बनाम लीलाधर आदि प्रकरण संख्या 75/2021 में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब वे इस इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है इसलिए इस मुन्तकिली प्रार्थना पत्र को इसी स्टेज पर खारिज कर दिया जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि यदि इस मुंतकिली प्रार्थना पत्र को प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा नॉट प्रैस करने के कारण खारिज किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.13 13:39:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 75/2021 अनवानी लाधूराम आदि बनाम लीलाधर आदि अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। प्रार्थी के अधिवक्ता इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रेस करते है। इस आशय का लिखित में कथन प्रार्थी के अधिवक्ता ने फर्दअहकाम के हाशिये पर भी अंकित किया है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.13 13:39:02 IST
Reason: SelfAttested